न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 20/22 GCMS NO 2022/43

1. अतवार अली पुत्र बदरूद्द्दीन
2. अलीमुदद्दीन पुत्र बदरूद्दीन
3. जुबेदा पत्नि बदरूद्दीन
4. सदरूद्दीन पुत्र बदरूद्दीन
5. सरफुद्दीन पुत्र बदरूद्दीन जातियान मुसलमान निवासीयान ग्राम करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मोहम्मद इस्लामुद्दीन पुत्र जन्सी
2. समसुद्दीन पुत्र जंसी
3. साबुद्दीन पुत्र जंसी
4. हिमायत अली पुत्र जंसी जातियान मुसलमान निवासीयान करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 54/2021 निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री संदीप शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 19.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण एक ही ग्राम करमोदा के निवासी है। अप्रार्थीगण की माता लाडबाई का देहान्त हो गया है। आराजी खसरा न0 1022 रकबा 0.28 है0, 1033 रकबा 0.33 है0, 1048 रकबा 0.29 है0, 1054 रकबा 0.15 है0, 1055 रकबा 0.33 है0, 1945/2119 रकबा 0.15 है0, 499 रकबा 0.06 है0, 505 रकबा 0.87 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.46 है0 वाके ग्राम करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसके तन्हा काबिज काश्त खातेदार प्रार्थीगण है जिस आराजी मे किसी कदर कोई दखलअन्दाजी का [illegible]गण को नही है। प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 1055 रकबा 0.33 है0 से [illegible] 1038 [illegible] से होकर रिडकोर मेगा हाईवे सवाई माधोपुर से लालसोट होकर निकला [illegible] जिसके बाद मौके पर ख0न0 1038

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:07 IST
Reason: SelfAttested

की हद रोड सेन्टर से 150 फीट के अन्दर आ जाती है। जिसमे किसी भी कदर कोई भी पुख्ता निर्माण तामीर विधि विरूद्व हासिल इजाजत से अथवा बिना इजाजत के नही किया जा सकता है। इसलिए ही इसको अप्रार्थीगण ने मौके पर खाली छोडा हुआ है जिसमे से अर्सा दराज करीबन 20 वर्षो से ज्यादा समय से प्रार्थीगण का आवागमन आमदरफत रास्ता है। और इसके एक भाग पर प्रार्थीगण ने करीब 50 वर्षो से भी ज्यादा वर्षो से कब्जा कर रखा है और मौके पर फलदार वृक्षो का बगीचा लगा रखा है। वर्तमान मे मौके पर विपक्षीगण का ख0न0 1038 के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी ख0न0 1038 की खातेदारी की धोस मे प्रार्थीगण का अर्सा दराज से चला आ रहा रास्ता आवागमन बन्द करते हुए प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी ख0न0 1055 मे अन्दर बढते हुए पुख्ता तामीर करवाने पर आमादा है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। यह भूमि रास्ते की भूमि है और स्टेट मेगा हाईवे के नियमानुसार 150 फीट तक किसी कदर निर्माण अनुज्ञात ना होने के कारण भी अप्रार्थीगण को कोई हक इस भूमि पर व प्रार्थीगण की खसरा न0 1055 की भूमि मे घुसते हुए निर्माण करने का कोई अधिकार नही है परन्तु अप्रार्थीगण लठबल के जौर पर मौके पर नीव खुदवाकर नींव भरवाकर आनन फानन मे निर्माण करवाकर प्रार्थीगण को रास्ता आवागमन से अवरूद्व कर इससे बंचित करने पर आमादा है। ऐलानियां धमकी दे रहे है कि रास्ता बंद करेगे और प्रार्थीगण की ख0न0 1055 मे घुसकर दुकान बनायेगे और ख0न0 1038 मे प्रार्थीगण के कब्जे कब्जा के फलदार वृक्षो का बगीचा नष्ट कर तोड फोड कर प्रार्थीगण को बलपूर्वक हटायेगे। जिनका उनको कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण को हक हासिल है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि 1022 रकबा 0.28 है0, 1033 रकबा 0.33 है0, 1048 रकबा 0.29 है0, 1054 रकबा 0.15 है0, 1055 रकबा 0.33 है0, 1945/2119 रकबा 0.15 है0, 499 रकबा 0.06 है0, 505 रकबा 0.87 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.46 है0 वाके ग्राम करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की माने मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावे एवं खसरा न0 1055 मे घुसते हुए किसी कदर कोई दुकान या मकान तामीर निर्माण नही करे और प्रार्थीगण के खसरा न0 1055 खसरा न0 1038 की 0.03 है0 भूमि मे होकर रास्ता आम आवागमन को किसी कदर बाधिक करते हुए दुकान तामीर निर्माण ना करे और ख0न0 1038 की शेष 0.04 है0भूमि जिस पर प्रार्थीगण नें फलदार वृक्ष लगाकर बगीचा बना रखा है से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नही करे और अप्रार्थीगण रिडकोर स्टेट मेगा हाईवे सवाई माधोपुर से लालसोट के 150 फीट की वर्जित सीमा रास्ता मे किसी कदर कोई दुकान मकान तामीर निर्माण ख0न0 1038 की भूमि मे ना करे ना करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा ... अपील ... न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्य का सही प्रकार से अवलोकन नही किया है इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि ख0न0 1055 रकबा 0.33 हे0 से लगता ख0न0 1038 है जिसमे से हाईवे रीड़कोर सवाई माधोपुर से लालसोट निकला है जिसके बाद हाईवे से 150 फीट के अन्दर रोड सेन्टर से ख0न0 1038 की हद है जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ख0न0 1038 मे से लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से अपीलांट का आवागमन का रास्ता है तथा इसके एक भाग पर अपीलांट ने फलदार वृक्षो का बगीचा लगा रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि लगभग 50 वर्षो से निरन्तर व लगातार कब्जा होने के कारण तथा विवादित रास्ते को निरन्तर काम मे लेने के कारण अपीलांट के पक्ष मे अधिकार उत्पन्न हो चुक है तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट को बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलांट के कब्जे मे जबरन निर्माण कार्य करने एवं अपीलांट का रास्ता रोके जाने से रेस्पो0 को रोका जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि स्टेट हाईवे के सेन्टर से 150 फीट तक किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार रेस्पो0 को नही है इसके बाबजूर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा किये जाने रहें निर्माण कार्य को रोका नही गया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने गलत निर्णय पारित किया है जबकि 50 वर्षो से निरन्तर एवं लगातार काबिज होने तथा फलदार वृक्ष का बगीचा लगा होने के कारण अपीलांट का दीर्घकालीन कब्जा पूर्णतया साबित है तथा किसी भी काबिज व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया के कानूनन नही हटाया जा सकता है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट का कब्जा होने के कारण तथा विगत 50 वर्षो से रास्ता काम मे लेने के कारण अपीलांट के पक्ष मे स्वतः ही अधिकार उत्पन्न हो गये है तथा उक्त भूमि पर रेस्पो0 जबरन निर्माण कार्य कर रहा है। अपीलांट बिवादित भूमि पर काबिज है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे है और अगर अपीलांट को जबरन वे काबिज कर रास्ते पर निर्माण करने मे रेस्पो0 सफल हो जावेगे तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवादित स्थल का मौका देखे उक्त निर्णय पारित किया है। मौके पर ख[illegible] 1038 मे रास्ता व वगीचा होने के संबंध मे तथा हाईवे के सेन्टर से 150 फीट के अन्दर [illegible] निर्माण करने के संबंध मे हल्का पटवारी से वर्तमान मौका रिपोर्ट [illegible] के पत्रावली पर आने के बाद उभयपक्षो की बहस सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए [illegible]। स्टेट हाईवे के सेन्टर से 150

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

फीट के अन्दर निर्माण करने का अधिकार किसी भी खातेदार को नही है। इसलिए रेस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज होने मात्र से रेस्पो0 को हाईवे पर निर्माण करने का अधिकार नही मिल जाता है। अदालत मातहत ने स्टेट हाईवे पर रेस्पो0 द्वारा कराये जा रहे निर्माण को रोका जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट के खसरा न0 1055 से 1038 की 0.03 है0 भूमि मे होकर जो रहे रास्ते के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न ना करते हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करने एवं खसरा न0 1038 की शेष 0.04 है0 भूमि पर अपीलांट द्वारा लगाये गये बगीचे से बिना विधिक प्रकिया मे बेदखल न करे। यथावत स्थिति बनाये रखे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया गया था। रेस्पो0 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0न0 1038 रकबा 30 विस्वा दीगर खसरा नम्बरान के साथ खातेदारी मे दर्ज रही है। इसमे से 17 विस्वा भूमि स्टेट मेगा हाईवे मे चली गई जो हाईवे रेस्पो0 की भूमि मे होकर निकलने पर रेस्पो0 की उक्त आराजी दो टुकडो मे बंट गई एवं पश्चिम दिशा मे 13 विस्वा व पूर्वी तरफ 7 विस्वा भूमि शेष रहने पर जमाबंदी सम्वत 2073–76 मे ख0न0 1038 रकबा 0.07 है0 व खसरा न0 2304/1038 रकबा 0.13 है0 के रूप मे अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज की गई। इस प्रकार शेष बची हुई भूमि खसरा न0 1038 रकबा 0.07 है0 व इसका बटा नम्बर 2304/1038 रकबा 0.13 है0 के अप्रार्थीगण /रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है। जो इसी तरह रेवेन्यू रिकार्ड एवं नक्शो मे दर्ज है। खसरा न0 1038 रकबा 0.07 है0 के पश्चिम मे प्रार्थीगण का ख0न0 1055 पडता है । रेस्पो/अप्रार्थीगण की भूमि का एक टुकडा हाईवे के पश्चिम मे होने के कारण व अप्रार्थीगण की भूमि से सटवा होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलांट के मन मे रेस्पो0 के उक्त रकबे को हडपने की बदमंशा जाग उठी है एवं वह रेस्पो0 की उक्त भूमि पर कब्जा कर हाईवे पर आना चाहते है। इसी गरज के चलते बदमंशापूर्वक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। खसरा न0 1038 के किसी भी भाग पर अपीलांट का कब्जा नही है। दीर्घकालीन कब्जा होने का तो सवाल ही नही उठता है। क्योकि यह भूमि रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि रही है। जिससे अपीलांट का कोई सबंध वास्ता नही है ना ही कभी रहा है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे आम रास्ता बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। अपीलांट द्वारा बार बार कथन किया गया है कि स्टेट हाईवे की जमीन पर रेस्पो0 द्वारा पुख्ता निर्माण किया जा रहा है यह कथन अपीलांट का मिथ्या एवं झूठा है। क्योकि रेस्पो0 द्वारा विवादित स्थल पर किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार के निर्माण के संबंध मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया है ना ही इस न्यायालय मे पेश किया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गई है। जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि खसरा न0 1038 पर रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य करने एवं अपीलांट/प्रार्थी आराजी ख0न0 1055 पर आने जाने वाले रास्ते को रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज रूप से रोके जाने के तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। परन्तु अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही करने एवं विवादित आराजीयात का रेस्पो/अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है। अपीलाट का कथन रहा कि रिडकोर मेगा हाईवे की जमीन पर रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रोका जाना चाहिए था। इस सबंध मे स्पष्ट है कि यदि रिडकोर मेगा हाईवे की जमीन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसे रोके जाने हेतु संबंधित उच्चाधिकारियो से अवैध अतिचार के संबंध मे चाराजोही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से ही अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 54/21 मे पारित निर्णय दिनांक 18.5.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:07 IST
Reason: SelfAttested